न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी०–1/न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय संख्या–32, गाजियाबाद

परिवाद संख्या–1272/2020
श्रीमती कविता बनाम रवि आदि
धारा– 12, घरेलू हिंसा अधिनियम
थाना–टीला मोड़, गाजियाबाद

दिनांकः05.08.2023

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विगत अनेक तिथियों से परिवादिनी लगातार अनुपस्थित चल रही है। उसकी ओर से कोई हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है और न ही कोई पैरोकार ही उपस्थित आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को इस परिवाद को आगे चलाये जाने में कोई रूचि नहीं रही है। ऐसी स्थिति में परिवाद को और अधिक समय तक लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार परिवाद अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(डॉ० मंजरी रावल)
सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी०–1/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय सं०–32, गाजियाबाद।

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी०–1/न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय संख्या–32, गाजियाबाद

परिवाद संख्या–472/2017
श्रीमती अर्चना गुप्ता बनाम गणेश कुमार आदि
धारा– 12, घरेलू हिंसा अधिनियम
थाना– कविनगर, गाजियाबाद

दिनांक:26.07.02023

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विगत अनेक तिथियों से परिवादिनी लगातार अनुपस्थित चल रही है। उसकी ओर से कोई हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है और न ही कोई पैरोकार ही उपस्थित आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को इस परिवाद को आगे चलाये जाने में कोई रूचि नहीं रही है। ऐसी स्थिति में परिवाद को और अधिक समय तक लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार परिवाद अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(डॉ० मंजरी रावल)
सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी०–1/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय सं०–32, गाजियाबाद।

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी०–1/न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय संख्या–32, गाजियाबाद

परिवाद संख्या–157/2019
श्रीमती श्वेता कौशिक बनाम अवनीश कौशिक आदि
धारा– 12, घरेलू हिंसा अधिनियम
थाना– साहिबाबाद, गाजियाबाद

दिनांक:25.07.02023

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विगत अनेक तिथियों से परिवादिनी लगातार अनुपस्थित चल रही है। उसकी ओर से कोई हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है और न ही कोई पैरोकार ही उपस्थित आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को इस परिवाद को आगे चलाये जाने में कोई रूचि नहीं रही है। ऐसी स्थिति में परिवाद को और अधिक समय तक लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार परिवाद अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(डॉ० मंजरी रावल)
सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी०–1/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय सं०–32, गाजियाबाद।

<u>न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी०–1/न्यायिक मजिस्ट्रेट</u>
<u>न्यायालय संख्या–32, गाजियाबाद</u>

परिवाद संख्या–1197/2020
श्रीमती शालिन बनाम आकाश गुप्ता आदि
धारा– 12, घरेलू हिंसा अधिनियम
थाना–कौशाम्बी, गाजियाबाद

<u>दिनांक:25.07.02023</u>

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विगत अनेक तिथियों से परिवादिनी लगातार अनुपस्थित चल रही है। उसकी ओर से कोई हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है और न ही कोई पैरोकार ही उपस्थित आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को इस परिवाद को आगे चलाये जाने में कोई रूचि नहीं रही है। ऐसी स्थिति में परिवाद को और अधिक समय तक लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार परिवाद अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(डॉ० मंजरी रावल)
सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी०–1/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय सं०–32, गाजियाबाद।

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी०–1/न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय संख्या–32, गाजियाबाद

परिवाद संख्या–3556/2017
श्रीमती संगीता बनाम मूलचंद आदि
धारा– 12, घरेलू हिंसा अधिनियम
थाना–साहिबाबाद, गाजियाबाद

दिनांक:26.07.02023

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विगत अनेक तिथियों से परिवादिनी लगातार अनुपस्थित चल रही है। उसकी ओर से कोई हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है और न ही कोई पैरोकार ही उपस्थित आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को इस परिवाद को आगे चलाये जाने में कोई रूचि नहीं रही है। ऐसी स्थिति में परिवाद को और अधिक समय तक लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार परिवाद अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(डॉ० मंजरी रावल)
सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी०–1/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय सं०–32, गाजियाबाद।

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी०–1/न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय संख्या–32, गाजियाबाद

परिवाद संख्या–757/2020
श्रीमती चेतना गोस्वामी बनाम धीरज आदि
धारा– 12, घरेलू हिंसा अधिनियम
थाना–कविनगर, गाजियाबाद

दिनांकः26.07.02023

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विगत अनेक तिथियों से परिवादिनी लगातार अनुपस्थित चल रही है। उसकी ओर से कोई हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है और न ही कोई पैरोकार ही उपस्थित आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को इस परिवाद को आगे चलाये जाने में कोई रूचि नहीं रही है। ऐसी स्थिति में परिवाद को और अधिक समय तक लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार परिवाद अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(डॉ० मंजरी रावल)
सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी०–1/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय सं०–32, गाजियाबाद।

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी०–1/न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय संख्या–32, गाजियाबाद

परिवाद संख्या–10127/2014
श्रीमती भावना बनाम वीरपाल आदि
धारा– 12, घरेलू हिंसा अधिनियम
थाना–साहिबाबाद, गाजियाबाद

दिनांक:26.07.02023

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विगत अनेक तिथियों से परिवादिनी लगातार अनुपस्थित चल रही है। उसकी ओर से कोई हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है और न ही कोई पैरोकार ही उपस्थित आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को इस परिवाद को आगे चलाये जाने में कोई रूचि नहीं रही है। ऐसी स्थिति में परिवाद को और अधिक समय तक लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार परिवाद अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(डॉ० मंजरी रावल)
सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी०–1/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय सं०–32, गाजियाबाद।

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी०–1/न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय संख्या–32, गाजियाबाद

परिवाद संख्या–1294/2020
श्रीमती आशा कुशवाहा बनाम सन्नी शाक्य आदि
धारा– 12, घरेलू हिंसा अधिनियम
थाना– साहिबाबाद, गाजियाबाद

दिनांक:27.07.02023

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विगत अनेक तिथियों से परिवादिनी लगातार अनुपस्थित चल रही है। उसकी ओर से कोई हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है और न ही कोई पैरोकार ही उपस्थित आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को इस परिवाद को आगे चलाये जाने में कोई रूचि नहीं रही है। ऐसी स्थिति में परिवाद को और अधिक समय तक लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार परिवाद अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(डॉ० मंजरी रावल)
सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी०–1/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय सं०–32, गाजियाबाद।

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी०–1/न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय संख्या–32, गाजियाबाद

परिवाद संख्या–1245/2019
श्रीमती प्रियंका बनाम अक्षय चौधरी आदि
धारा– 12, घरेलू हिंसा अधिनियम
थाना– कविनगर, गाजियाबाद

दिनांक:27.07.02023

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विगत अनेक तिथियों से परिवादिनी लगातार अनुपस्थित चल रही है। उसकी ओर से कोई हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है और न ही कोई पैरोकार ही उपस्थित आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को इस परिवाद को आगे चलाये जाने में कोई रूचि नहीं रही है। ऐसी स्थिति में परिवाद को और अधिक समय तक लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार परिवाद अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(डॉ० मंजरी रावल)
सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी०–1/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय सं०–32, गाजियाबाद।